न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 27/2014

1 रामसिंह आयु 73 साल

2 उम्मेद सिंह आयु 66 साल पुत्रगण स्व. हनुमान सिंह जाति राजपूत पेशा खेती निवासी वार्ड नम्बर 6 आदर्श नगर बस स्टेण्ड के पास बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती हवाकंवर आयु करीब 55 साल पत्नी स्व. सुलतान सिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नम्बर 4 मेड़तियों का मोहल्ला बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू राज. व निवासी बस स्टेण्ड के पास बड़ागांव उप तहसील गुढ़ा गौड़जी जिला झुन्झुनूं राज.।

2 सन्त कुमार आयु 62 साल पुत्र स्व. शिवभगवान

3 श्रीमती बिमला देवी आयु 62 साल पत्नी सन्तकुमार जाति ब्राह्मण निवासी गणेश मन्दिर के पास बगड़ रोड़ वार्ड नम्बर 42 झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

4 राजस्थान सरकार जरिये भूमिअधिकारी तहसीलदा तहसील व जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अ.धारा 223 राज. काश्त. अधि. 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 24.02.2014
व डिक्री दिनांक 31.03.2014 न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी झुन्झुनू दावा उनवानी श्रीमती हवा कंवर
बनाम रामसिंह आदि दावा बंटवारा व स्थायी
निषेधाज्ञा दावा संख्या 109/1994

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांक:— 30.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 109/1994 में पारित निर्णय दिनांक 31.03.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन गत खसरा नम्बर 339/1 रकबा 7 बीघा 16 बिश्वा वाके कस्बा बगड़ के बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा संख्या 109/1994 रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 श्रीमती हवा कंवर ने अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 के खिलाफ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू में किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व अपीलान्टस ने दिनांक 22.07.1996 को राजीनामा मय नजरी नक्शा पेश किया जो राजीनामा न्यायालय द्वारा सत्यापित किया गया। उक्त राजीनामें व नजरी नक्शे के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू ने दिनांक 25.07.1996 को निर्णय पारित किया। दावा संख्या 109/1994 में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने 15 वर्षों से विवादित जमीन का बंटवारा पक्षकारान में होना व बंटवारे में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को खसरा नम्बर 339/1 का उत्तरी भाग 2 बीघा 12 बिश्वा मिलना व दक्षिणी भाग के दो टुकड़े होना जिसमें से पश्चिमी भाग अपीलान्ट उम्मेदसिंह की 2 बीघा 12 बिश्वा जमीन होना व पूर्वी भाग की अपीलान्ट रामसिंह की 2 बीघा 2 बिश्वा जमीन होना दर्ज किया व सीमाए दर्ज की। इसी मुमाबिक दावे के साथ नजरी नक्शा पेश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

किया। उक्त राजीनामें में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की जमीन खसरा नम्बर 339/1 की उत्तरी भाग की 2 बीघा 12 बिश्वा जमीन होना व इस जमीन में से पश्चिमी सींव के सहारे सहारे उत्तर से दक्षिण 8 फुट चौड़ाई का रास्ता अपीलान्टस के लिये होना व इस रास्ते से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की जमीन में से पूर्व की तरफ पूर्व पश्चिम 4 फुट चौड़ाई का रास्ता होना व अपीलान्टस उम्मेदसिंह की जमीन में से 4 फुट चौड़ाई का रास्ता होना इस प्रकार 8 फुट चौड़ाई का रास्ता अपीलान्टस रामसिंह की जमीन तक होना दर्ज किया व नजरी नक्शे में दर्ज किया। उक्त राजीनामें के आधार पर दिनांक 25.07.1996 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू ने निर्णय पारित कर खसरा नम्बर 339/1 में से उत्तर की तरफ की 2 बीघा 12 बिश्वा जमीन की टीनेन्ट रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को घोषित किया व अपीलान्ट रामसिंह को दक्षिणी जमीन में से पूर्व की तरफ की 2 बीघा 12 बिश्वा जमीन का टीनेन्ट घोषित किया व उक्त राजीनामें के अनुसार रास्ते होने का आदेश पारित किया। राजीनामा व नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहने व मुद्राक अधिनियम की धारा 45 के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर डिक्री मुर्तिब करने का निर्णय पारित किया। दिनांक 25.07.1996 को उक्त निर्णय पारित कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं ने पत्रावली नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल होने का आदेश पारित किया। निर्णय दिनांक 25.07.1996 की पालना दिनांक 12.02.2014 से पहले तक नहीं की गयी और न ही डिक्री मुर्तिब की गयी व निर्णय दिनांक 25.07.1996 अंतिम हो चुका। इसके बाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने प्रार्थना पत्र अ.धारा 151 व आदेश 20 सीपीसी के तहत पेश किया। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के इस प्रार्थना पत्र पर अपीलान्ट को बिना सुने ही व बिना नोटिस जारी किये ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू ने दिनांक 24.02.2014 को आदेश पारित कर जमीन हाल खसरा नम्बर 1845 रकबा 0.68 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को घोषित कर दिया व अपीलान्ट रामसिंह को जमीन हाल खसरा नम्बर 1841 रकबा 0.64 हैक्टेयर वाके कस्बा बगड़ का खातेदार काश्तकार घोषित कर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

दिया व अपीलान्ट उम्मेदसिंह को जमीन हाल खसरा नम्बर 1844 रकबा 0.57 हैक्टेयर, हाल खसरा नम्बर 1843 रकबा 0.01 हैक्टेयर हाल खसरा नम्बर 1842 रकबा 0.03 हैक्टेयर वाके कस्बा बगड़ का खातेदार घोषित कर दिया व जमीन हाल खसरा नम्बर 1846 रकबा 0.04 हैक्टेयर सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते में दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया व संसोधित निर्णय के अनुसार डिक्री जारी होने का आदेश पारित कर दिया जिसके अनुसार दिनांक 31.03.2014 को डिक्री जारी की गयी। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में दावा संख्या 109/94 में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के राजीनामें के आधार पर दिनांक 25.07.1996 को निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी रेस्पोडेन्ट हवा कंवर ने 2014 में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 व आदेश 20 सीपीसी प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने इस आवेदन पर अपीलांट को नोटिस जारी किये बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि दावा संख्या 109/1994 में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के राजीनामें के आधार पर दिनांक 25.07.1996 को निर्णय पारित किये जाने के तथ्य को अपीलांट स्वीकार करता है। विचाराधीन आदेश मुताबिक राजीनामा ही पारित किया गया है। विचाराधीन आदेश में रकबे की कमी बेसी सड़क का रकबा निकाल देने से हुई है। विचारण न्यायालय ने 1996 के निर्णय के विपरित निर्णय पारित नहीं किया है। इस निर्णय से अपीलांट के हित प्रभावित नहीं हो रहे है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है। दावा संख्या 109/1994 में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के राजीनामें के आधार पर दिनांक 25.07.1996 को निर्णय पारित किये जाने के तथ्य को अपीलांट स्वीकार करता है। विचाराधीन आदेश मुताबिक राजीनामा ही पारित किया गया है। विचाराधीन आदेश में रकबे की कमी बेसी सड़क का रकबा निकाल देने से हुई है। विचारण न्यायालय ने 1996 के निर्णय के विपरित निर्णय पारित नहीं किया है। इस निर्णय से अपीलांट के हित प्रभावित नहीं हो रहे है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर